संख्या-24/2016/वे0आ0-2-557/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव,
वित्त, संस्थागत वित्त एवं वाह्य सहायतित परियोजना विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 12 मई, 2016**

विषय- संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के पदों के पुनर्गठन से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय के पदों के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

(1) विभाग में विद्यमान अपर सॉख्यिकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी के पदों को संविलीन करते हुए अपर शोध अधिकारी (सॉख्यिकी) पदनामित किया जाय। इन पदों को कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी विभाग सॉख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 की व्यवस्था के अनुसार भरा जाय।

(2) विभाग में विद्यमान सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी के पदों संविलीन करते हुए पदनाम सहायक शोध अधिकारी (सॉख्यिकी) रखा जाय। इन पदों को कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी विभाग सॉख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 की व्यवस्था के अनुसार भरा जाय।

(3) सहायक निदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 06 पदों के स्थान पर 08 पद रखे जायें। इन पदों को कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी विभाग सॉख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 की व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से उक्त नियमावली में उल्लिखित अर्हता वाले

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को 02 वर्ष की सेवा वाले अपर शोध अधिकारी (सॉख्यिकी) के पदों (पुनर्गठन के पूर्व की सेवाओं को गणना में लेते हुए) से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

(4) उपनिदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 06 पदों के स्थान पर 08 पद रखे जायें। इन पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक निदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा अथवा न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा वाले ऐसे सहायक निदेशकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय, जिन्होने सहायक निदेशक एवं अपर शोध अधिकारी (सॉख्यिकी) (पुनर्गठन के पूर्व की सेवाओं को जोड़ते हुए) पद पर कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(5) संयुक्त निदेशक के वर्तमान में उपलब्ध 03 पदों के स्थान पर 04 पद रखे जायें। इन पदों को 03 वर्ष की सेवा वाले उपनिदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा अथवा न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा वाले ऐसे उप निदेशकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय, जिन्होने उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पद पर कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(6) वर्तमान में उपलब्ध अपर निदेशक ग्रेड वेतन रू0 8900 के 01 पद को अपर निदेशक ग्रेड-1 पदनामित किया जाय। भविष्य में अपर निदेशक ग्रेड-1 के पद को अपर निदेशक ग्रेड-2 के ऐसे पदधारकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय, जिन्होंने अपर निदेशक ग्रेड-2 के पद (पुनर्गठन के पूर्व अपर निदेशक के पद की सेवाओं को सम्मिलित करते हुए) पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

विभाग की संवर्गीय संरचना में अपर निदेशक ग्रेड-2 पदनाम से ग्रेड वेतन रू0 8700 में 01 पद रखा जाय। अपर निदेशक ग्रेड-2 के इस पद को 03 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त निदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

(7) विभाग में निदेशक पदनाम से वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 10000 में 01 पद रखा जाय। निदेशक के इस पद को अपर निदेशक ग्रेड-1 के ऐसे पदधारकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाय, जिन्हांने अपर निदेशक ग्रेड-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा सहित (पुनर्गठन के पूर्व अपर निदेशक पद पर की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए) कुल 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(8) महानिदेशक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-4 रू0 37400-67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 10000 को वेतनमान रू0 67000-वार्षिक वेतनवृद्धि 03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिशत की दर से-79000 में उच्चीकृत किया जाय। इसके फलस्वरूप महानिदेशक के वर्तमान पदधारक को यह उच्चीकृत वेतनमान स्वतः अनुमन्य हो जायेगा।

भविष्य में महानिदेशक के पद को राजकीय सेवा के ग्रेड वेतन रू0 10000 के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पदधारकों अथवा शैक्षिक/बैंकिंग/बीमा क्षेत्र के समकक्ष स्तर के वेतनमान के और वित्तीय/बैंकिंग/बीमा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा वाले अर्ह अभ्यर्थियों में से चयन के माध्यम से भरा जाय। उक्त चयन की कार्यवाही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय चयन समिति गठित करते हुए (जिसमें प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित परियोजना विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य हो) की संस्तुतियां पर की जाय।

(9) उपर्युक्त निर्णयों के अनुसार पुनर्गठन के उपरान्त संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय विभाग का संवर्गीय ढांचा निम्नवत् निर्धारित होगा :-

क्र0 सं0	**पदनाम/ पदों की संख्या**	**वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)**	**भर्ती की विधि**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	महानिदेशक/01	वेतनमान रू0 67000- वार्षिक वेतन वृद्धि 03 प्रतिशत की दर से-79000	तालिका के नीचे अंकित है।
2	निदेशक/01	वेतन बैण्ड-4 एवं ग्रेड वेतन रू0 10000/-	अपर निदेशक ग्रेड-1 के ऐसे पदधारकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होने अपर निदेशक ग्रेड-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा सहित (पुनर्गठन के पूर्व अपर निदेशक के पद की सेवाओं को जोड़ते हुये) कुल 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
3	अपर निदेशक	वेतन बैण्ड-4	अपर निदेशक ग्रेड-2 के ऐसे

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ग्रेड-1/01	एवं ग्रेड वेतन रू0 8900/-	पदधारकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होने अपर निदेशक ग्रेड-2 के पद (पुनर्गठन के पूर्व अपर निदेशक के पद की सेवाओं को सम्मिलित करते हुये) पर कुल 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4	अपर निदेशक ग्रेड-2/01	वेतन बैण्ड-4 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700/-	03 वर्ष की सेवा वाले संयुक्त निदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
5	संयुक्त निदेशक/04	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/-	03 वर्ष की सेवा वाले उप निदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा अथवा न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा वाले ऐसे उप निदेशकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें उप निदेशक तथा सहायक निदेशक पद पर कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
6	उप निदेशक/08	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/-	05 वर्ष की सेवा वाले सहायक निदेशक के पदों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा अथवा न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा वाले

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			ऐसे सहायक निदेशकों से विभागीय चयन समिति के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा, जिन्होनें सहायक निदेशक एवं अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) (पुनर्गठन के पूर्व की सेवाओं को गणना में लेते हुये) पद पर कुल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	सहायक निदेशक/ 08	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/-	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 की व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उक्त नियमावली में उल्लिखित अर्हता वाले अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को 02 वर्ष की सेवा वाले अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय) के पदों (पुनर्गठन के पूर्व की सेवाओं को गणना में लेते हुये) से पदोन्नति द्वारा।
8	अपर शोध अधिकारी (सांख्यिकीय)/06	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-	उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 की व्यवस्था के अनुसार।
9	सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकीय)/09	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/-	

महानिदेशक के पद को राजकीय सेवा के ग्रेड वेतन रू0 10000 के पद पर न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके पदधारकों अथवा शैक्षिक/ बैंकिंग/बीमा क्षेत्र के समकक्ष स्तर के वेतनमान के और वित्तीय/बैंकिंग/बीमा क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा वाले अर्ह अभ्यर्थियों में से चयन के माध्यम से भरा जाय। उक्त चयन की कार्यवाही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभागीय चयन समिति गठित करते हुए (जिसमें प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त एवं बाह्य सहायतित

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना विभाग, प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य हो) की संस्तुतियों पर की जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-24/2016/वे0आ0-2-557(1)/दस-8(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।